न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(सी0डि0), कोर्ट नं0–3, पीलीभीत।

प्रकीर्ण वाद सं0–25एम/2023

रामनाथ बनाम पंकज आदि

मुकदमा अपराध सं0–29/2026
धारा–137, 351(3), 87 भा0न्या0सं0।
थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत।

दिनांक–28.07.2026

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित आया। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वह वादी मुकदमा है और अपना मुकदमा चलाना नही चाहता है तथा प्रार्थी पुलिस की उक्त जांच से पूर्णतया संतुष्ट है। पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी है और अपने मुकदमे में दाखिल फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कराना चाहता है। उक्त वाद में प्रस्तुत फाईनल रिपोर्ट स्वीकार करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी का कथन है कि उसे उक्त वाद में कोई कार्यवाही नही चाहता है। उक्त वाद समाप्त कर दिया जाए। पुलिस द्वारा विवेचना में कोई साक्ष्य नही पाया गया। अतः संबंधित थाना पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित की जाए।

(मो0 शहनवाज अहमद सिद्दीकी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज(सी0डि0),
कोर्ट नं0–03, पीलीभीत।